

16-12-2014

श्री राजा चौधरी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र प्रकरण आज सुनवायी में लिये जाने बाबत पेश किया, बाद विचार आवेदन में दर्शित कारण उचित प्रतीत होने से आवेदन स्वीकार कर आज सुनवायी में लिया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0।

आरोपी सहित श्री आर.के.चौहान अधिवक्ता।

प्रार्थिया नान्हीबाई स्वतः उपस्थित।

श्री राजा चौधरी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320 एवं 320(2)दं.प्र.सं. का पेश कर राजीनामा किये जाने की अनुमति एवं राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थिया नान्हीबाई ने राजीनामा स्वैच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है तथा प्रार्थी/ आहत की पहचान श्री राजा चौधरी अधिवक्ता द्वारा की गई।

आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध का आरोप है। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध का शमन किये जाने हेतु फरियादी नान्हीबाई सक्षम पक्षकार है। आरोपीगण के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपित अपराध धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.वि. शमनीय प्रकृति का है। उभयपक्ष का उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आरोपी इंदिरबाई एवं दिलीप को शमनीय अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो के अपराध से दोषमुक्त किया जाता।

प्रकरण में आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक बांस की लकड़ी है, जो मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर